intersex Asia

एशियन इंटरसेक्स (अंतरलिंग) मूवमेंट सार्वजनिक वक्तव्य

“हम एशिया में इंटरसेक्स/अंतरलिंगी मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं।”

25-26 अक्टूबर 2022 के बीच, इंटरसेक्स मानवाधिकार कोष द्वारा समर्थित एशिया का तीसरा इंटरसेक्स फ़ोरम बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड, मंगोलिया और जापान से इंटरसेक्स संगठनों और समुदायों से 22 इंटरसेक्स प्रतिभागि शामिल हुए ।

इंटरसेक्स शब्द के मायने बहुत व्यापक हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक शारीरिक विविधताओं को वर्णित करने के लिए किया जाता है।
कभी-कभी इंटरसेक्स लक्षण जन्म से ही दिखाई देते हैं, और कभी-कभी वह किशोरावस्था तक भी सामने नहीं आते कुछ क्रोमोसोमल लक्षण शारीरिक रूप से दिखाई ही नहीं देते हैं।

अंतरलिंग व्यक्तियों में जन्मजात ही ऐसी कई विभिन्न लिंग विशेषताएं होती हैं (जैसे कि लिंगात्मक अंग, प्रजनन अंग, हार्मोनीक पैटर्न्स, और/या क्रोमोसोमल पैटर्न्स) जो पुरुष या महिला शरीरों के आम मानकों से बाहर होते हैं।

लगभग 1.7% वैश्विक आबादी ऐसे लक्षणों के साथ जन्म लेती है; तब भी, उनके शरीर को विकृत या भ्रष्ट मानकर, अंतरलिंग बच्चों और वयस्कों को अक्सर अपमानित किया जाता है और वे अक्सर बुरे व्यवहार का शिकार होते हैं। चिकित्सा स्थानों में भी उन्हें भेदभाव का सामना करना होता हैं ।

प्रस्तावना

हम प्रमाणित करते हैं कि अंतर्लिंगी लोग वैध हैं, और हम एशिया के सभी देशों सहित दुनिया भर के सभी क्षेत्रों और सभी देशों में मौजूद हैं। इसलिए, अंतर्लिंगी लोगों को उनसे जुड़े हुए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और विधायी परिवर्तनों के चालक बनने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए।

हम एशिया के विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंटरसेक्स/अंतर्लिंगी कार्यकर्ता हैं, जो अंतर्लिंगी शिशुओं और वयस्कों के ख़िलाफ़ भेदभाव, हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने के साथ-साथ अंतर्लिंगी व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक जुट होकर काम कर रहे हैं।

मांग

1 इंटरसेक्स व्यक्तियों की शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा :

1. अंतरलिंग लक्षणों/विविधताओं को लैंगिक विशेषताओं के रूप में स्वीकार किया जाए, और इन्हें विकार कहना और मानना बंद किया जाए।

2. अंतरलिंग व्यक्तियों की शारीरिक पूर्णता और शारीरिक व मानसिक स्वास्थय सुनिश्चित करना।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि अंतरलिंग व्यक्तियों को जीवन भर (स्व-आवश्यकता के रूप में) ऐसा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक समर्थन उपलब्ध हो, जो उन्हें रोगी रूप में ना देखे, और उनके सशक्तिकरण पर ध्यान दे। उनके साथ ही उनके माता-पिता और/या शुभचिंतकों को भी समान मिले।

4. अंतर्लिंगी व्यक्तियों की निजता के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ।

5. जब भी अंतर्लिंगी व्यक्ति अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, प्रवासन प्राधिकरण और सरकारी निकायों जैसी नागरिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े, तब यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि अंतरलिंग व्यक्तियों की गोपनीयता और गरिमा का कड़ा और संपूर्ण संरक्षण हो।

6. उन इंटरसेक्स/अंतर्लिंगी व्यक्तियों को मुआवज़ा प्रदान किया जाए, जिन्हें बिना उनकी सहमति के ऐसे अनावश्यक चिकित्सिकिय हस्तक्षेप से गुजरने के लिए मजबूर किया गया हो जिसके कारण अब वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं ।

मांग

2 सभी क्षेत्रों में अंतरलिंगी व्यक्तियों की भेदभाव से रक्षा की जाए

1. भेदभाव विरोधी कानून में लिंग विशेषताओं के आधार को जोड़कर अंतरलिंगी व्यक्तियों की भेदभाव से रक्षा की जाए और अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, आव्रजन अधिकारियों और सरकारी निकायों जैसे नागरिक और सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़कर अंतरलिंगी भेदभाव के ख़िलाफ़ सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, लैंगिक विशेषताओं के आधार पर भेदभाव की अनुमति देने वाले कानूनों में संशोधन सानुश्चित किए जाए।

2. इंटरसेक्स या अंतर्लिंग से संबंधित सभी प्रकार की शब्दावली को अपमानमुक्त किया जाए।

3. इंटरसेक्स व्यक्तियों की प्रभावी पहचान के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रकार की बातचीत में, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर अंतरलैंगिकता के लिए उचित अधिमानित व्याकरण के प्रयोग को महत्व दिया जाए।

4. कार्यस्थल में भेदभाव के ख़िलाफ़ इंटरसेक्स व्यक्तियों की रक्षा की जाए। यौन उत्पीड़न नीतियों को अंतरलिंगी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु समावेशी बनाया जाए।

मांग

2 सभी क्षेत्रों में अंतरलिंगी व्यक्तियों की भेदभाव से रक्षा की जाए

5. राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान हवाई अड्डों पर आव्रजन और सुरक्षा जांच के दौरान इंटरसेक्स व्यक्तियों के उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

6. अंतरलिंग शरणार्थियों की आवश्यकता को भेदभाव और हिंसा के खिलाफ पहचानना। साथ ही, उनकी उचित अंतरलिंग-पुष्टिकरण और मानसिक-सामाजिक समर्थन की आवश्यकता को भी पहचाना जाए।

7. विवाह और बच्चों को गोद लेने से संबंधित कानूनों में अंतरलिंग व्यक्तियों के लिए समान और भेदभाव रहित कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

मांग

3 इंटरसेक्स वर्ग को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें

1. यह समझना ज़रूरी है कि लैंगिक भेदभाव, चिकित्साकरण, अमानवीयकरण और इंटरसेक्स व्यक्तियों को अपमानित करने के परिणामस्वरूप उनके मन पर गहरी चोट होती है और उनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याए उत्पन्न होती हैं।

2. स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अंतरलिंग समुदाय से जुड़ी विशेषताओं पर प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनमें उनपर अंतरलिंग लोगों की देखभाल का भार होता है।

3. चिकित्सा प्रदाताओं को मानवाधिकार-आधारित दिशानिर्देश प्रदान किया जाए ।विशेष रूप से वे प्रदाता जिनका उद्देश्य अंतरलिंग व्यक्तियों की सेवा के दौरान सभी प्रकार की जांच हो। ताकी उन्हें मरीज़ की आवश्यकताओं का सम्मानजनक और सम्मानस्पद ढंग से पता चले और साथ हीं उनकी गोपनीयता की सुरक्षा भी सनुश्चित की जाए।

4. अंतरलिंगी लोगों को. सुलभ और स्नेहशील स्वास्थ्यचर्या प्रदान हो जो सभी आवश्यक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरतों को ध्यान में रखे। और वे जो उनसे जुड़े मुद्दों को भी संज्ञान में ले।

5. लिंग और लिंग विशेषताओं के लिए इंटरसेक्स अनुकूल विशेष विभागों की सूची बनायी जाए और वह सूची राज्य और उप-जिलों सहित सभी स्तरों पर चिकित्सा संस्थानों में विशेष चिकित्सा पेशेवरों को दी जाए। इससे इंटरसेक्स व्यक्तियों और उनके परिवारों तक सुविधाजनक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित होगी।

मांग

3 इंटरसेक्स वर्ग को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें

6. इंटरसेक्स व्यक्तियों को सब्सिडीयुक्त यूनिवर्सल हेल्थकेयर बीमा मिले। साथ ही, खासरूप से निजी बीमा प्रदाताओं के लिए दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए जो उन्हें इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों बनाने को कहें ।

7. निजी लैब्स में इंटरसेक्स लक्षणों या विविधताओं से संबंधित चिकित्सा जांच के लिए सुलभ और उचित मूल्य को विनियमित करना।

8. इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए आवश्यक सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

9. सरकार द्वारा इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना, जिसमें निदान और उपचार दोनों शामिल होंगे।

मांग

4 समावेशी शिक्षा

1. गर्भावस्था पूर्व परामर्श सेवा और समर्थन में मानवाधिकार-आधारित अंतरलिंग शिक्षा को शामिल किया जाए।

2. अंतरलिंग व्यक्तियों और उनके परिवारों को सशक्त करने के लिए मानवाधिकार-आधारित शिक्षा प्रदान की जाए।

3. सभी स्तरों पर व्यापक यौन शिक्षा का प्रचार हो जिसमें इंटरसेक्स व्यक्तियों के जीवन अनुभवों को सम्मानजनक रूप से शामिल और पेश किया जाए ।

4. बुनियादी यौन शिक्षा पाठ्यक्रम को अद्यतन करना और इसे इंटरसेक्स व्यक्तियों और SOGIESC (एसओजीईएससी - यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति या यौन लक्षण) अधिकार समावेशी बनाना।

5. शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रभावी प्रशिक्षण मॉड्यूल निष्पादित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक 'लिंग पहचान' और 'लिंग विशेषताओं' जैसे शब्दों की अवधारणा और बारीकियों के साथ-साथ दोनों के बीच अंतर को भी समझें।

6. मेडिकल संस्थानों में पाठ्यक्रम को बढ़ाया जाए, जिसमें अंतरलिंग व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों और SOGIESC (एसओजीईएससी) अधिकारों पर जानकारी हो।

मांग

5 अंतरलिंग शिशुओं का जन्म पंजीकरण

1. अंतरलिंग बच्चों के पंजीकरण के लिए नए नियम निर्माण हो जिसमें अंतरलिंग बच्चों को महिला या पुरुष के रूप में पंजीकृत करने को बाधित नहीं किया जाए। पंजीकरण प्रक्रिया में इस बात की आकांक्षा हो की और सभी लोगों के साथ साथ अंतरलिंग शिशु भी बड़े होने पर अपने मनपसंद लिंग या जेंडर को अपना सकें।

मांग

6 सभी क्षेत्रों में इंटरसेक्स/अंतरलिंग विशेषताओं की कानूनी मान्यता:

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि इंटरसेक्स व्यक्तियों को सभी मानवाधिकारों और नागरिकता अधिकारों के प्रावधान तक आसान पहुँच प्राप्त हो।

2. सरकार इंटरसेक्स व्यक्तियों की मांगों को साकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों द्वारा जारी दिए गए बयान का समर्थन करेगी और उनके साथ खड़ी रहेगी।

3. केंद्रीय और राज्य सरकारों के वित्तीय बजट में अंतरलिंग समुदाय को उत्थान और संरक्षण के लिए विशेष धन आवंटित किया जाए।

4. यह स्पष्ट किया जाए कि अंतरलिंग होना एक जैविक स्थिति है और इसका किसी के यौन पहचान या लिंग पहचान से संबंध नहीं है। एक अंतरलिंग व्यक्ति की अलग यौन पहचान और लिंग पहचान हो सकती है और वह पुरुष, महिला या गैर-बाइनरी के रूप में अपनी पहचान कर सकते हैं।

5. यह सुनिश्चित किया जाए कि कानूनी लिंग या लैंगिक श्रेणियाँ किसी के निर्दिष्ट अनुरोध पर सरल प्रशासकीय प्रक्रिया के माध्यम से संशोधनीय हों। सभी वयस्क और सक्षम लोगों को फीमेल (F), मेल (M), गैर-बाइनरी या विभिन्न विकल्पों के बीच चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अतः भविष्य में, जैसे जाति या धर्म के साथ, जन्म प्रमाण पत्र या पहचान दस्तावेज़ों में लिंग या जेंडर कोई श्रेणी नहीं होनी चाहिए।

मांग

6 सभी क्षेत्रों में इंटरसेक्स/अंतरलिंग विशेषताओं की कानूनी मान्यता:

6. इंटरसेक्स व्यक्तियों की मौलिक गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करने वाले लिंग सत्यापन परीक्षणों को समाप्त किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने कानूनी लिंग के अनुकूल, सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धी खेलों में भाग लेने में सक्षम हों। जिन इंटरसेक्स एथलीटों के साथ भेदभाव किया गया हो, या उनके खिताब छीन लिए गए हो, उन्हें मुआवज़ा और बहाली मिलनी चाहिए।

7. इंटरसेक्स व्यक्तियों को सभी स्तरों पर चुनाव लड़ने और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने सहित राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए।

8. विकलांग, सामाजिक, और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की तरह अंतरलिंगी व्यक्तियों के बीच पारस्परिक विविधताओं की पहचान हो और उनकी और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की रक्षा के लिए एक तंत्र प्रदान किया जाए।

9. विशेष रूप से इंटरसेक्स समुदाय के समावेशन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इंटरसेक्स विविधता वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए नीतियां बनाई जाएँ।

मांग

7 चिकित्सा पद्धतियों, प्रक्रियाओं और चिकित्सकों की भूमिका को विनियमित किया जाए:

1. अंतरलिंगी लोगों को विधायी और अन्य माध्यमों से जबरन लिंग परिवर्तन कर 'सामान्य' करने लिए दवाई सहित जननांग सर्जरी, मनोवैज्ञानिक और अन्य चिकित्सकीय हस्तक्षेपों की हानिकारक कुप्रथाओं पे रोक लगाई जाए। इंटरसेक्स व्यक्तियों का अपनी शारीरिक अखंडता, शारीरिक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं पर नियंत्रण होना चाहिए।

2. इंटरसेक्स व्यक्तियों की चिकित्सा जांच की अनावश्यक, अस्वास्थ्यकर और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना।

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जैसे चिकित्सा पद्धतियों, दिशानिर्देशों, प्रोटोकॉल और वर्गीकरणों में लिंग विशेषताओं में भिन्नता को दूर करना।

4. प्रीइम्प्लांटेशन (पूर्वअवस्थित) आनुवांशिक निदान , प्रसव पूर्व जांच और हस्तक्षेप, और इंटरसेक्स भ्रूणों के चयनात्मक गर्भपात पर रोक लगाई जाए। फुटनोट - हम महिलाओं के उनके स्वेच्छा से किए चिकित्सकीय गर्भपात के अधिकार को मानते हैं। हालांकि, हम अंतरलिंग भ्रूणों के चयनात्मक गर्भपात के प्रयासों का मज़बूती से विरोध भी करते हैं।

मांग

7 चिकित्सा पद्धतियों, प्रक्रियाओं और चिकित्सकों की भूमिका को विनियमित किया जाए:

6. जन्म देने वाले लोगों को इंटरसेक्स शिशुओं और इंटरसेक्स अनुभवों के बारे में सजग करने के लिए मानवाधिकार-आधारित इंटरसेक्स समावेशी जानकारी प्रदान करना और उन्हें एक इंटरसेक्स नवजात शिशु के स्वागत के लिए विशेष जानकारी साझा करना।

7. अंतरलिंगी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गर्भपात के लिए एक नियामक तंत्र प्रदान करना।इससे अंतरलिंग व्यक्तियों के ख़िलाफ़ भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है और अंतरलिंग भ्रूण-हत्या पर रोक लगाई जा सकती है।

8. इंटरसेक्स शिशुओं की शारीरिक अखंडता का समर्थन किया जाए और इसे बनाए रखने के लिए नर्सों और चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।

9. अंतरलिंग व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बारे में चिकित्सा संस्थानों को सजग किया जाए। अंतरलिंग पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं और समस्याओं का निदान करने वाली अंतरलिंग हितैषी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएं और अंतरलिंग व्यक्तियों को बिना सवाल-जवाब अस्पताल में प्रवेश करने की सुविधा हो।

10. इंटरसेक्स लोगों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधित आवश्यकताओं के बारे में चिकित्सा संस्थानों को संवेदनशील किया जाए। इंटरसेक्स-सकारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए - जो इंटरसेक्स व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा कर सके, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सजग हो और अस्पतालों में इंटरसेक्स व्यक्तियों को बिना परेशानी प्रवेश प्रदान करने में सक्षम हो।

मांग

8 न्याय तक पहुँच और शिकायतों का निवारण:

1. प्रभावी और मज़बूत कानून एवं सुरक्षा तंत्र के माध्यम से अंतर्लिंगी व्यक्तियों की भ्रूण हत्या, परित्याग और हॉनर किलिंग पर रोक लगाई जाए।

2. अंतर्लिंग व्यक्तियों के ख़िलाफ़ होने वाली यौन हिंसा और उत्पीड़न, नफ़रत भाषण, लिंगवाद, सक्षमवाद, अनुप्रयोगवाद, पितृत्व, और जातिवाद जैसे भेदभावों के खिलाफ़ संरक्षण के कानूनों बनाए

3. अतीत में अंतर्लिंगी व्यक्तियों को हुई पीड़ा और अन्याय की पर्याप्त स्वीकृति प्रदान करना एवं उसका पर्याप्त निवारण, क्षतिपूर्ति, न्याय तक पहुँच, और सत्य का अधिकार प्रदान करना।

4. इंटरसेक्स/अंतर्लिंगी मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने और मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए एक सुरक्षित तंत्र प्रदान करना।

5. यह सुनिश्चित करना कि अंतर्लिंग व्यक्तियों की शिकायतों का पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और उसका पूर्ण रूप से निवारण हो । साथ ही, क़ानूनस्वरूप विशेष अंतर्लिंग संरक्षण नीतियों को विकसित किया जाए ताकि पुलिस अधिकारियों द्वारा शक्ति का कोई दुरुपयोग न हो।

मांग

9 डेटा संग्रह: अनुसंधान की कमियों का निवारण करना :

1. यह सुनिश्चित करना कि अंतर्लिंग व्यक्तियों को अपने बारे में पूरी जानकारी का अधिकार है। उदाहरण के लिए, उन्हें अपने जन्म से व्यस्कवस्था तक के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स प्राप्त होने चाहिए।

2. सरकार द्वारा एकत्रित आधिकारिक सांख्यिकी में अंतर्लिंग व्यक्तियों का सही समावेश सुनिश्चित किया जाए, जिसमें राष्ट्रीय जनगणना भी शामिल हो। इसके ज़रिए, अंतर्लिंग व्यक्तियों को सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, नागरिकता, अत्यावश्यक सहारा आदि जैसे उपायों में शामिल किया जा सकता है।

3. अंतर्लिंग व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, नागरिकता आदि को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इंटरसेक्स व्यक्तियों का डेटा एकत्र करने के लिए एक विशेष तंत्र प्रदान करना।

4. अंतर्लिंग व्यक्तियों के मुद्दों से संबंधित अनुसंधान और जानकारी में अंतराल को भरने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान एजेंसियों के साथ सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना।

मांग

10 इंटरसेक्स मुद्दों से संबंधित संवेदनशीलता और जागरूकता

1. बड़े पैमाने पर समुदायों और समाज में इंटरसेक्स/अंतर्लिंग मुद्दों और अंतर्लिंग व्यक्तियों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

2. अंतर्लिंग व्यक्तियों के लिए, उनके परिवारों, और उनके आस-पास के लोगों के लिए सहायक, सुरक्षित और उत्सवपूर्ण वातावरण स्थापित करना और उसे सुविधाजनक बनाना।

3. अतीत में अंतर्लिंगी व्यक्तियों को हुई पीड़ा या अन्याय की पर्याप्त स्वीकृति प्रदान करना, और पर्याप्त निवारण, क्षतिपूर्ति, न्याय तक पहुंच और सत्य का अधिकार प्रदान करना।

4. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी मुख्य हितधारक जो अंतर्लिंग व्यक्तियों के भलाई में विशेष भूमिका निभाते हैं, जैसे - स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, माता-पिता, शैक्षणिक अधिकारी और उनके साथ ही सामान्य समाज को भी अंतर्लिंग अधिकारों को मानव अधिकारों के संबंध में समझाए जाए।

5. राजनेताओं सहित सरकारी अधिकारियों को अंतर्लिंगी व्यक्तियों की समझ के प्रति जागरूक किया जाए ताकि वे कानून निर्माण के दौरान सही शब्दावली का उपयोग करें।

मांग

10

इंटरसेक्स मुद्दों से संबंधित संवेदनशीलता और जागरूकता

5. यह सुनिश्चित किया जाए कि इंटरसेक्स संगठनों और इंटरसेक्स सहकर्मी सहायता समूहों को स्थायी तरीके से मान्यता प्राप्त हो और उनको संसाधनयुक्त और मज़बूत किया जाए।

6. मीडिया के बीच मानवाधिकार आधारित इंटरसेक्स जागरूकता पैदा की जाए और मीडिया में अंतर्लिंगी व्यक्तियों का उचित और संवेदनशील प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

7. सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्लिंगी व्यक्तियों के जीवन से संबंधित लघु फिल्मों और वेब श्रृंखलाओं के निर्माण का प्रोत्साहन किया जाए ताकी उनके मानवाधिकारों को बढ़ावा मिल सके।

8. एलजीबीटीक्यूआईऐ+ (LGBTQIA+) समुदाय को इंटरसेक्स भिन्नता वाले लोगों के प्रति सजग बनाया जाए।

मांग

11 संपत्ति और विरासत के अधिकार

1. ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाई जाए जिनके अनुसार केवल पुरुष संपत्ति विरासत में पा सकते हैं क्योंकि अक्सर इनके चलते अंतर्लिंगी शिशुओं की सर्जरी कर उन्हें पुरुष करने की कोशिश की जाती है।

2. यह सुनिश्चित करना कि बांझपन के आधार पर अंतर्लिंगी व्यक्तियों के उत्तराधिकार के अधिकार को नकारा न जाए।

12 आपातकालीन नीति प्रतिक्रिया में इंटरसेक्स (अंतर्लिंगी) व्यक्तियों का समावेश:

1. यह सुनिश्चित करना कि आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और नीतियों में अंतर्लिंगी व्यक्तियों और उनकी समस्याओं को शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्लिंगी व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्ट उपाय किए जाने चाहिए थे।

2. यह सुनिश्चित करना कि सभी आपदा प्रतिक्रिया कार्यक्रमों में अंतर्लिंगी व्यक्तियों को शामिल किया जाए।

कार्यवाही की गुहार

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एशियाई इंटरसेक्स आंदोलन को निम्नलिखित का आह्वान है:

मानवाधिकार संस्थाएँ:

1. अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को अंतर्लिंगी व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को उठाना और उन पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने कार्य में इंटरसेक्स मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सरकारी स्तर पर:

1. राष्ट्रीय सरकारें एशियाई इंटरसेक्स आंदोलन द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करेंगी और अंतर्लिंगी प्रतिनिधियों और संगठनों के साथ सीधे सहयोग से पर्याप्त समाधान निकालेंगी।
2 . राष्ट्रीय सरकारों को सभी हानिकारक प्रथाओं को रोकना चाहिए - जैसे कि इंटरसेक्स जननांग विकृति, बिना सहमति के सुधारात्मक सर्जरी, शिशुहत्या, और इंटरसेक्स लोगों की हॉनर किलिंग।

कार्यवाही की गुहार

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एशियाई इंटरसेक्स आंदोलन को निम्नलिखित का आह्वान है:

गैर-सरकारी संगठनों या अन्य एजेंसियों के स्तर पर:

1. मीडिया एजेंसियों और सभी सार्वजनिक संचार स्रोतों में इंटरसेक्स (अंतर्लिंगी) व्यक्तियों की निजता, गरिमा और नैतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।
2.समुदाय के नेताओं को अंतर्लिंग व्यक्तियों के बारे में गलत धारणाओं और मान्यताओं पे शिक्षित किया जाए ताकि वह उन्हें को दूर करने के लिए कार्यरत हो सकें।
3. फंडर्स को इंटरसेक्स संगठनों के साथ जुड़ना चाहिए और आवश्यक दृश्यता के लिए उनके संघर्ष में अंतर्लिंगी व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, आवश्यक ज्ञान का निर्माण करना चाहिए और उनके मानवाधिकारों की पुष्टि सुनिश्चित करनी चाहिए।
4. मानवाधिकार संगठनों को इंटरसेक्स संगठनों के साथ मज़बूत संबंध बनाने में योगदान देना चाहिए। उन्हें आपसी सहयोग और सार्थक जुड़ाव के लिए एक ठोस आधार बनाना होगा। यह सहयोग की भावना से किया जाना चाहिए और किसी को भी इंटरसेक्स मुद्दों को अन्य उद्देश्यों के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:

Hiker Chiu,
Executive Director of Intersex Asia, hiker@intersexasia.org

Prashant Singh,
Researcher & UN Advocacy Officer of Intersex Asia, prashant@intersexasia.org

Intersex Asia 2023

Intersex Asia
https://www.intersexasia.org

@intersexasia
@intersexasia